बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

आदेश

एस0एम0 शोएब हाशमी एजुकेशन एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट ग्रुप ऑफ इन्स्टीच्यूट, परसा पकड़िया पठानपट्टी, नरकटिया, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी को समिति के पत्रांक–टी0टी0प्रे0–668, दिनांक 13.06.2018 द्वारा सत्र 2018–20 से एक यूनिट (50) प्रशिक्षणार्थियों हेतु सम्बद्धता प्राप्त है।

2. संस्थान को NCTE, क्षेत्रीय केन्द्र, भुवने वर (उड़ीसा) के पत्रांक 64376, दिनांक 13.08.2021 द्वारा सत्र 2021–22 से डी0एल0एड0 कोर्स संचालन हेतु अतिरिक्त 50 सीटों के साथ मान्यता प्रदान की गई है। उक्त मान्यता के आलोक में संस्थान द्वारा दिनांक 27.11.2021 को सम्बद्धता हेतु विहित प्रपत्र में शुल्क सहित आवेदन समर्पित किया गया है। तत्पश्चात् संस्था की चार सदस्यीय जांच कमिटि द्वारा स्थलीय जांच करायी गयी। जांच कमिटि द्वारा पत्रांक 316, दिनांक 07.02.2022 से जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जांच कमिटि द्वारा जांच प्रतिवेदन में इस संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित सुझाव एवं अनुशंसा प्राप्त हुएः–

(i) संस्थान का भूमि ट्रस्ट के नाम से है।
(ii बागवानी नहीं (कुछ फुल के पौधे)।
(iii) खेल–कूद का मैदान नहीं है।

3. जांच प्रतिवेदन में यह भी अंकित किया गया कि संस्थान परिसर में सरकारी प्राथमिक विद्यालय का भवन है। कॉफ्रेंस हॉल, पुस्तकालय, कॉमन रूम (छात्र/छात्रा) उपस्कर का अभाव है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के पत्रांक–64376, दिनांक 13.08.2021 जिसके द्वारा संबंधित संस्थान को 50 सीट के लिए मान्यता दी गयी है, उसके क्रमांक 14 में स्पष्ट निदेश दिया गया है कि सोसाईटी/ट्रस्ट द्वारा 06 महीने के अंदर भूमि का स्थानांतरण संस्थान के नाम कर दिया जाय, उस सीमा के अंदर स्थानांतरण नहीं करने की स्थिति में संस्थान की मान्यता वापस ले लिया जाएगा। अद्यतन संस्थान के नाम पर जमीन का स्थानांतरण नहीं किया गया है।

4. जांच दल द्वारा कतिपय सुझावों के साथ–साथ अनुशंसा की गई कि महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाया जाए/उपस्करों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था की जाए/छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग–अलग शौचालय चिन्हित किया जाय/खेल सामाग्री की पर्याप्त व्यवस्था की जाय (खासकर आउटडोर गेम हेतु) तथा संस्थान के नाम से भूमि का स्थानांतरण एवं पर्याप्त संख्या में उपस्कर की व्यवस्था जबतक नहीं किया जाता है, तबतक संबद्धता पर विचार करना श्रेयष्कर नहीं होगा।

5. उक्त अनुशंसा के आलोक में दिनांक 14.02.2022 को आयोजित राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमिटि की बैठक में संस्थान की भूमि ट्रस्ट के नाम से रहने, भूमि का अद्यतन लगान रसीद उपलब्ध नहीं होने, संस्थान के परिसर में सरकारी प्राथमिक विद्यालय संचालित रहने, कॉफ्रेंस हॉल, पुस्तकालय, कॉमन रूम (छात्र/छात्रा) में उपस्कर के अपर्याप्त रहने, खेलकूद मैदान नहीं रहने के कारण तत्काल शैक्षणिक सत्र 2021–22 से अतिरिक्त सीट वृद्धि हेतु सम्बद्धता प्रदान नहीं करने की अनुशंसा की गयी। साथ ही संस्था को, ट्रस्ट की भूमि संस्था के नाम से

कराने एवं जांच प्रतिवेदन में पायी गयी कमियों को एक माह के अंदर पूरा कर साक्ष्य के साथ प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश देने की अनुशंसा की गयी। दिनांक 26.03.2022 को समिति की बैठक में संस्था के अतिरिक्त सीट वृद्धि हेतु सम्बद्धता आवेदन को अस्वीकृत करते हुए राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमिटि की अनुशंसा को स्वीकृति प्रदान की गई। तत्पश्चात् समिति के पत्रांक–167, दिनांक 02.04.2022 के द्वारा संस्थान को उक्त कार्यों को पूर्ण कर एक माह के अंदर साक्ष्य के साथ प्रतिवेदन समर्पित करने का एक मौका दिया गया।

6. संस्थान द्वारा पत्रांक–SMSH/T/204, दिनांक 30.04.2022 एवं पत्रांक–SMSH/T/205, दिनांक 18.05.2022 (ई–मेल से प्राप्त दिनांक 19.06.2022) के माध्यम से अपना प्रत्युत्तर प्राप्त कराया गया, जिसमें कहा गया कि संस्था की जमीन, मदरसा इस्लामिया मफतुल कुरान, परसा पकड़िया, पठानपट्टी के सचिव के द्वारा एस0 एम0 शोएब हाशमी एजुकेशन एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट, चितकोहरा को एस0 एम0 शोएब हाशमी एजुकेशन एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट ग्रुप ऑफ इन्स्टीच्यूशन, परसा पकड़िया, पठानपट्टी, पूर्वी चम्पारण नाम से शैक्षणिक संस्था खोलने हेतु दान दिया गया है। प्रत्युत्तर में यह भी कहा गया है कि दिनांक– 02.10.2009 को प्रबंधन समिति की बैठक के एजेंडा सं0–3 में इस आशय का निर्णय लिया गया था, जिसका उल्लेख भू–अभिलेख (डीड) में भी है।

7. संस्था परिसर में एक सरकारी विद्यालय के अवस्थित रहने के संबंध में कहा गया कि संस्था की भूमि 82.5 डिसीमल, जो लगभग 36000 वर्गफीट निबंधित जमीन है, जो एक बी0एड0 शैक्षणिक संस्था को चलाने के लिए पर्याप्त है। प्रश्नगत् प्राथमिक विद्यालय प्लाट सं0–204 के दूसरे भाग में अवस्थित है, जो संस्था के बगल में है।

8. संस्था के प्रत्युत्तर से यह स्पष्ट नहीं होता है कि ट्रस्ट को प्राप्त भूमि, किस प्रकार के शैक्षणिक संस्थान को संचालित करने हेतु दान में दिया गया है? भू–अभिलेख में यह कहीं अंकित नहीं है कि दान की गयी भूमि पर बी0एड0 / डी0एल0एड0 / शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान ही खोला जायेगा। संस्था के नाम में भी शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी कोई शब्द अंकित नहीं है, बल्कि संस्था के नाम में ग्रुप ऑफ इन्स्टीच्यूशन लिखा गया है, जिससे संस्था में शिक्षक प्रशिक्षण से इतर, शिक्षा या किसी अन्य विषय से संबंधित एक या एक से अधिक संस्था या पाठ्यक्रम संचालित है या किया जा सकता है। ट्रस्ट के अभिलेख में अंकित शर्तों से भी स्पष्ट होता है कि ट्रस्टी को यह अधिकार है कि वह ट्रस्ट की संपत्ति के उपयोग के संबंध में समय–समय पर निर्णय ले सकती है। इस शर्त के तहत् ट्रस्टी दिनांक 02.10.2009 को लिए गए निर्णय को बदलने की भी शक्ति रखती है।

9. एन0सी0टी0ई0, विनियमावली 2014 एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गमन, संबद्धता मानदंड तथा प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के प्रावधानों में स्पष्ट है कि भूमि को शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्था के नाम से होना चाहिए। उक्त दोनों विनियमावली के प्रावधानों तथा समिति के निर्णय के अलोक में संस्था को यह सुझाव दिया गया था कि ट्रस्ट की जमीन, संस्था के नाम से करा लें तथा जांच दल द्वारा प्रतिवेदित अन्य कमियों को शीघ्र पूरा करा लें, परन्तु संस्था द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

10. उक्त तथ्यों के आलोक में संस्था के प्रत्युत्तर को समिति के पत्रांक 450, दिनांक 09.07.2022 द्वारा अमान्य करते हुए संस्था को भूमि का हस्तांतरण संस्था के नाम से कराते हुए जांच प्रतिवेदन में पायी गयी अन्य कमियों को पत्र प्राप्ति की तिथि से एक माह के अंदर पूरा करा लेने का पुनः एक अंतिम मौका दिया गया।

11. पत्रांक– 450, दिनांक 09.07.2022 के आलोक में संस्थान द्वारा

पत्रांक–SMSHT/T/210, दिनांक 28.07.2022 के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें मूल रूप से कहा गया है कि हमारी संस्था एवं ट्रस्ट दोनों ने Vendee के रूप में रजिस्टर्ड भूमि प्राप्त की है इसीलिए पुनः इसे इतने वर्षों के बाद संस्था के नाम से केवल भूमि का स्थानांतरण कराना न केवल तकनीकि रूप से कठिन है बल्कि अनावश्यक है। इनके द्वारा अपने पक्ष में यह भी कहा गया कि संस्था का नाम (एस0 एम0 शोएब हाशमी एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट ग्रुप ऑफ इन्स्टीच्यूशन) बदलना किसी भी प्रकार व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि भारत सरकार और प्रदेश सरकार के सभी पोर्टल पर संस्था इसी नाम से निबंधित है। संस्था द्वारा कहा गया कि एन0सी0टी0ई0 2014 में दिये गये प्रावधान [विनियम 8 की कंडिका 4 (iii)] कि ''6 माह के अंदर ट्रस्ट की भूमि को संस्था के नाम से हस्तानांतरित करा लिया जाय'', इनके संस्थान पर लागू नहीं होता है। साथ ही संस्था को यह भी कहना है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विनियमावली 2016 को पूर्व से मान्यता प्राप्त संस्थान के संदर्भ में लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इनकी संस्था को 2015 से दो वर्षीय संयुक्त शैक्षणिक कोर्स की मान्यता प्राप्त है और संदर्भित संस्था पूर्ण रूप से शैक्षणिक संस्थान है, जिसके अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान अर्थात् बी0एड0 एवं डी0एल0एड0 कोर्स संचालन हेतु ही उपलब्ध है। संस्था के पास 3335 वर्गमीटर भूमि निबंधित है, जिसमें मात्र बी0एड0 एवं डी0एल0एड संस्था ही चल सकती है, कोई अन्य संस्थान उक्त भूमि पर संचालित होने की गुजांइश ही नहीं है।

12. संस्था के प्रत्युत्तर से स्पष्ट होता है कि संस्था द्वारा ट्रस्ट की भूमि, संस्था के नाम से हस्तानांतरित नहीं कराया गया है तथा संस्था इसकी आवश्यकता भी नहीं समझती है। उल्लेखनीय है कि संस्था द्वारा समर्पित अद्यतन मालगुजारी रसीद में भी भूमि ट्रस्ट के नाम से है। फलतः संस्था का यह कथन कि भूमि संस्था एवं ट्रस्ट दोनों को Vendee के रूप में प्राप्त है, त्रुटिपूर्ण हो जाता है। साथ ही संस्था द्वारा जाँच दल के प्रतिवेदन में प्रतिवेदित कतिपय अन्य सुधारात्मक सुझावों एवं कमियों को पूरा कर लेने का साक्ष्य भी समर्पित नहीं किया गया है। संस्था को समिति के पत्रांक– 668/18, दिनांक 13.06.2018 से सम्बद्धता प्रदान की गई है, इसलिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गमन, संबद्धता मानदंड तथा प्रक्रिया) विनियमावली 2016 संस्था पर पूर्ण रूपेण प्रभावी है।

13. वर्णित परिस्थिति में ट्रस्ट की प्रबंधन समिति द्वारा उस भवन/भूमि पर बीएड0/डी0एल0एड कोर्स बंद कर या एक साथ एक से अधिक शैक्षणिक कोर्स चलाने का निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि संस्था के नाम में ग्रुप ऑफ इन्स्टीच्यूशन अंकित है और डीड में भूमि पर शिक्षक प्रशिक्षण संस्था चलाने संबंधी कोई शर्त अंकित नहीं है। संस्था द्वारा समर्पित ट्रस्ट के अभिलेख में अंकित 'ट्रस्ट के उद्देश्य एवं घोषणा' में शिक्षा सहित कई अन्य क्षेत्रों में भी कार्य करना अंकित है। साथ ही 'ट्रस्टी की शक्तियाँ' कंडिका में स्पष्ट है कि ट्रस्ट की सारी संपत्ति का उपयोग एक या एक से अधिक उद्देश्य के लिए किया जा सकेगा, जैसा की ट्रस्टी समय–समय पर तय करेंगे। ऐसे में एन0सी0टी0ई0 विनियम 2014 का उपनियम 8 की कंडिका 4 (iii) तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गमन, संबद्धता मानदंड तथा प्रक्रिया) विनियमावली 2016 का विनियम 5 (क) (ii) जिसके अनुसार भूमि एवं भवन का स्वामित्व संस्था में निहित होना चाहिए, का अनुपालन नहीं होता है। किसी एक शैक्षणिक संस्था के नाम में ''वेलफेयर ट्रस्ट एण्ड ग्रुप ऑफ इन्स्टीच्यूशन्स'' होना भ्रामक है।

14. दिनांक 25.08.2022 को आहूत राज्य स्क्रीनिंग समिति की बैठक में संस्था द्वारा अपने पक्ष में प्रस्तुत प्रत्युत्तरों एवं समर्पित अभिलेखों की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि संस्थान एन0सी0टी0ई0 विनियमावली 2014 एवं बिहार

विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गमन, संबद्धता मानदंड तथा प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के प्रावधानों तथा सम्बद्धता की शर्तों को पूरा नहीं करता है। सम्यक विचारोपरांत स्क्रीनिंग कमिटि द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022–24 से समिति के पत्रांक 668/18, दिनांक 13.06.2018 के माध्यम से एक बेसिक यूनिट (50) के लिए डी0एल0एड0 कोर्स संचालन हेतु प्रदत्त सम्बद्धता वापस लेने की अनुशंसा की गई।

उक्त परिपेक्ष्य में दिनांक 05.09.2022 को सम्पन्न बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की बैठक में अन्यान्य विषय सं0–01 के रूप में स्क्रीनिंग कमिटि की अनुशंसा को स्वीकृति प्रदान की गई। समिति के उक्त निर्णय के आलोक में संस्था को शैक्षणिक सत्र 2018–20 से एक बेसिक यूनिट (50) प्रशिक्षणार्थियों हेतु डी0एल0एड0 कोर्स संचालन के लिए प्रदत्त सम्बद्धता शैक्षणिक सत्र 2022–23 से वापस ली जाती है।

ह0/–

(नील कमल)

निदेशक (शैक्षणिक)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।